दिनांक 16—05—2018

आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प गगवाना पेश हुई प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 303 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा हाल खसरा नम्बर 1176 रकबा 58 ऐयर में किसी प्रकार का रास्ता नहीं था और ना ही आज मौके पर कोई रास्ता है किन्तु भू प्रबन्ध के दौरान नवीन नक्शा सीट में रास्ता दर्ज कर दिया है जिससे प्रार्थीगण की आराजी का रकबा पूर्ण नहीं होकर कम बैठता है। प्रार्थीगण के अधिकरों का हनन होता है। इसलिये न्यायहित में पुरानी सीट के अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार महवा से उक्त गलती को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो इन्कार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय का आदेश लाने को कहा इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हो जाने के कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1176 रकबा 0.58 हैक्टयर को गत नक्शा के अनुसार दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नकल खतौनी भूमि एकीकरण विभाग संवत 2018 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम गगवाना तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 303 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा श्योचन्दा पुत्र हनूता जाति मीना निवासी गगवाना तहसील महवा की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। भू प्रबन्ध के दौरान गत खसरा नम्बर 303 से नवीन खसरा नम्बर 1176 बनाया गया है जैसाकि नकल मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट होता है। वर्तमान जमाबंदी संवत 2070—73 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1176 रकबा 0.58हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

| व ता<br>आम ज<br>की त<br>जारी | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज<br>बनाम<br>रामचरण बनाम सं.स्टेट | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

नानगा पुत्र श्योचन्द जाति मीना सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। गत नक्शा सीट को देखते हैं तो पाते हैं कि खसरा नम्बर 303 में होकर कोई रास्ता नहीं है। जबकि गत खसरा नम्बर 303 से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 1176 की आराजी में से एक रास्ता निकालते हुये आम रास्ता खसरा नम्बर 1331 से मिला दिया है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा इस प्रकार रास्ता निकालने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्तमान नक्शा को छोटा करने का आरोप लगाया है तहसीलदार महवा को रकबा बरारी करने हेतु बार बार लिखा गया है किन्तु कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार भूमिधारक को सायल के प्रार्थना पत्र के विपरीत कुछ नहीं कहना है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि सायलान की आराजी खसरा नम्बर 1176 की रकबा बरारी करने के पश्चात यदि गत नक्शा के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में कोई भिन्नता पायी जावे तो वर्तमान ट्रेस को पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)
कैम्प गगवाना